झारखंड विधान सभा

झारखंड विधान मंडल सचेतक
(सुविधा और भत्ता) संशोधन विधेयक, 2006।
(सभा द्वारा यथापारित)

2006

झारखंड विधान मंडल सचेतक
(सुविधा और भत्ता) संशोधन विधेयक, 2006।
(सभा द्वारा यथापारित)

विषय–सूची ।

खण्ड–1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार।
2. झारखण्ड अधिनियम–18, 2006 की धारा–01 की उपधारा (ग) का संशोधन।

झारखंड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) संशोधन विधेयक, 2006

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखंड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) संशोधन विधेयक, 2006।

झारखंड विधान मंडल के सचेतक का वेतन भत्ता एवं सुविधा का अवधारण करने के लिए अधिनियम –

भारत गणराज्य के 57वाँ वर्ष में झारखंड राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

01. संक्षिप्त नाम और विस्तार –

क. यह अधिनियम झारखंड विधान मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) संशोधन अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा।

ख. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

ग. यह संशोधन अधिनियम तुरत प्रवृत्त होगा।

02. झारखण्ड अधिनियम–18, 2006 की धारा–01 की उपधारा (ग) का संशोधन– झारखण्ड अधिनियम–18 की धारा–01 की उपधारा (ग) में अंकित शब्द समूह "यह तुरत प्रवृत होगा" के स्थान पर निम्नांकित शब्द समूह प्रतिस्थापित किये जायेंगे –

"यह दिनांक 27 फरवरी, 2006 के प्रभाव से प्रवृत होगा।"

यह विधेयक झारखण्ड विधान–मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता)संशोधन विधेयक, 2006 दिनांक 22 दिसम्बर, 2006 को झारखण्ड विधान सभा में उदभूत हुआ और दिनांक 22 दिसम्बर, 2006 को सभा द्वारा पारित हुआ।

यह एक धन विधेयक है।

(आलमगीर आलम)
अध्यक्ष।